न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

खड्डी बनाम मनोहर वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
12.08.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2072–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 हाल 1065 व 1445/1068 वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ(अलवर) में सायल के हिस्से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 20.10.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे ? पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर दिनांक 20.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

20/10/21 [illegible] पे. [illegible] [illegible] 30-12-21 [illegible]

पत्रावली SDO ल0 गढ से प्राप्त होकर पेश हुई।

25/11/21 ...राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित "...[illegible] के संग अभियान-2021" में ... [illegible] ... अतः पत्रावली ... अभियान में ... मुख्यालय

नसवारी

पर दिनांक 23.12.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

गोविन्दगढ़ (अलवर)

फर्द अहकाम

न्यायालय............उपखण्ड अधिकारी............मुकाम............गोविन्दगढ़ (अलवर)............
............खण्डेडी............बनाम............मनोहर............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	08.9.23 ....वकील प्रार्थी............अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक............1.2.8.21... की पालना में पत्रावली वास्ते............तलबी रजि० डाक से औचित्य? दिनांक............06.10.23 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
	06.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब............ ....अवकाश पर............है। पत्रावली दिनांक............23.10.23............की पेश हो। [signature] रीडर	
	23.10.23 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित किया है। P.O. साहब............अन्य ....कार्य में व्यस्त............है। पत्रावली दिनांक............11.12.23............को पेश हो। [signature] रीडर	
11.12.23	पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही। प्रार्थना पत्र -212 RTA का मूल वाद के वकील व उनके वादी की अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज हो गया। अतः प्रार्थना पत्र -212 RTA के चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र -212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तामिल तकमील मूल वाद के संलग्न हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	